

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- ओ.पी.चन्देलिया आर.ए.एस


दिनांक :- 14/05/24

क्रमांक :- दुरुस्ती / 2024 / 287

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्रार्थी सुनिल कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 248 / 8 , रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 69 / 126 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र	ग्राम / चक / पट वार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	
1.	4 जेजीडब्ल्यू	248 / 8	करणसिंह पुत्र रणजीत पूजा पुत्री राजेन्द्र सुनील पुत्र राजेन्द्र करणीसिंह पुत्र रणजीतसिंह पूजा पुत्री राजेन्द्र सुनिल कुमार पुत्र राजेन्द्र	करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह पूजा पुत्री राजेन्द्र सिंह सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह
2.	रामबास	69 / 126		


पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 14/05/24


क्रमांक:- सम / 2024 / 288-289

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को विवाद एव बैक रहन न हो तो आदेशानुसार न्यायालय का स्थगन आदेश , विवाद एव बैक रहन न हो तो आदेशानुसार

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद / अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

1. करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह, पूजा पुत्री राजेन्द्र सिंह, सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासीगण सवाईछानी को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ